न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 57/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कालु पिता गणेश सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गीतादेवी पत्नि श्यामलाल सुथार निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थी
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 13.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 19 में अंकित आराजी स. 980 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात में विपक्षी आये दिन दखलअंदाजी करती रहती है। जिससे प्रार्थी को अपने आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने, मवेशी चराने व घास काटने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थी द्वारा कई बार विपक्षी को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां परन्तु विपक्षी आये दिन आज कल में कराने की बात कहे कर हर बार टालमबाजी का जवाब देती आ रही है। प्रार्थी द्वारा अन्तिम बार दिनांक 28.02.2019 को विपक्षी को उनकी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा परन्तु विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2019 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 23.04.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी की और से अधिवक्ता उपस्थित है जिन्होने कोई जवाब पेश नही किया अतः विपक्षी का जवाब बन्द किया जाता हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 19 में अंकित आराजी स. 980 रकबा 0.07 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नंही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/— अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/— अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा